# प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 22.01.2025

## थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

स्वाट टीम व थाना जेठवारा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान चोरी व फिरौती माँगने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत मनीराम का पुरवा तिराहा वहद ग्राम भावनपुर के पास थाना जेठवारा पुलिस व स्वाट टीम से हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के पैर में लगी गोली एवं 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार।

घायल अभियुक्त तनुज वर्मा उपरोक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व चोरी की ईको कार व स्टेशनरी का सामान बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 19.01.2025 को रात्रि में वादी अपनी ईको कार से दूकान का स्टेशनरी का सामान लादकर प्रतापगढ़ ले जा रहा था। थाना जेठवारा क्षेत्रा0 जेठवारा तिराहे पर वादी उक्त कार को खड़ी किया था। इसी बीच अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की ईको कार व उसमें लदा स्टेशनरी का सामान चोरी करके ले गये थे। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 06/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 22.01.2025 को रात्रि को ASP(W) श्री संजय राय व CO सदर श्रीमति करिश्मा गुप्ता के नेतृत्व मे थाना जेठवारा पुलिस व स्वाट टीम द्वारा थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत मनीराम का पुरवा तिराहा वहद ग्राम भावनपुर के पास मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में चोरी से संबंधित 01 शातिर अभियुक्त तनुज वर्मा पुत्र हरिकेश वर्मा बहादुर उम्र 20 वर्ष निवासी छीटीपुर थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के दाहिन पैर में लगी गोली एवं मौके से 01 अन्य अभियुक्त विशाल पुत्र विजय वर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी छीटीपुर थाना लालगंज, प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त तनुज वर्मा उपरोक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया। अभियुक्तों के कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व चोरी की ईको कार व स्टेशनरी का सामान बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के संबंध में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 09/25 धारा 109/352/3 (5) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ विवरण अभियक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों ने मिलकर जेठवारा से दिनांक 19.01.2025 को स्टेशनरी व स्पोर्ट्स से भरी एक वैन चोरी किया था। माल व ईको कार को हम लोग बहुत कोशिश के बाद बेच नही पाये थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों न इस माल को इसके मालिक से ही गाड़ी व माल के बदले कुछ रूपये लेकर लाभ प्राप्त कर लिया जाय। तो हमने गाड़ी में रखे बिल वाउचर से मालिक का निकालकर एक नया व्हाट्सएप जो किसी दूसरे के मोबाइल नं0 से बनाया था। गाडी मालिक को कल मैने व मेरे दोस्त विशाल ने लाभ कमाने के उद्धेश्य से सुनियोजित तरीके से मैसेज किया था। हम दोनों द्वारा गाड़ी/माल मालिक से माल व गाड़ी के बदले 02 लाख रूपये की माग की गयी थी लेकिन गाड़ी मालिक से उक्त वाहन व माल को 01 लाख 10 हजार रूपये में लौटाने की डील भी पक्की हो गयी थी। हम दोनों पुलिस की नजर से बचते बचाते रात में वाहन स्वामी से मांगे गये रूपये लेने व माल वापस करने जा ही रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया तथा मैंने अपने आप को पकड़े जाने से बचाने के लिए आप लोगों पर दो बार फायर किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1 तनुज वर्मा पुत्र हरिकेश बहादुर वर्मा निवासी ग्राम छीटीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष।

2 विशाल वर्मा पुत्र विजय वर्मा निवासी ग्राम छीटीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व चोरी की ईको कार व स्टेशनरी का सामान बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह हे0का0 धनन्जय राय, का0 मोहित यादव, का0 जागीर सिंह, का0 राजेन्द्र कुमार, चालक का० राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा स्वाट द्वितीय टीम के उ0नि0 श्री दिनेश सिंह हे0का0 राजीव, का0 आशुतोष पाण्डेय, का0 अरविन्द दुबे।

2थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह का० अर्पित त्रिपाठी, का0 योगेन्द्र, का0 आशुतोष चौबे, का0 अरविन्द, म0का0 छाया, चालक का० सतीश कुमार पाल द्वितीय टीम उ0नि0 वारिज, उ0नि0 अमित वर्मा व उ0नि0 हेमन्त यादव व हे0का0 मनीष कुमार, चालक का0 अनुराग शुक्ला थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

## थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा अवैध 01 तमन्चा व 01 जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत रामपुर आधारगंज तिराहा के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री शत्रुघ्न वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज जायसवाल मय हमराह उ0नि0 दुर्गेश कुमार, का0 निर्दोष कुमार, म0का0 वन्दना कुमारी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त चन्दन पाठक पुत्र श्रीधर पाठक निवासी ग्राम नजियापुर (घोरका मुफरिद) थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत रामपुर आधारगंज तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त के कब्जे से अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 11/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
01 चन्दन पाठक पुत्र श्रीधर पाठक निवासी ग्राम नजियापुर (घोरका मुफरिद) थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 मनोज जायसवाल मय हमराह उ0नि0 दुर्गेश कुमार, का0 निर्दोष कुमार, म0का0 वन्दना कुमारी थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के जलालपुर रोड नहर पुलिया से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण
आरोपीगणों द्वारा वादी की नाबालिक बहन का अपहरण करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में दिनांक 12.12.2024 को अन्तर्गत 137(2) बी0एन0एस0 का अभियोग बनाम 03 नामजद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाघराय के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 तेज बहादुर यादव मय हमराह का0 रविन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 22.01.2025 को देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय में अन्तर्गत 137(2) बी0एन0एस0 से संबंधित 01 अभियुक्त राशिद उर्फ गब्बू पुत्र रज्जब अली निवासी त्रिलोकपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र बाघराय के जलालपुर रोड नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण
राशिद उर्फ गब्बू पुत्र रज्जब अली निवासी त्रिलोकपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः
उ0नि0 तेज बहादुर यादव मय हमराह का0 रविन्द्र कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

## थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से चोरी की 02 अदद मोबाइल एन्ड्रायड स्मार्टफोन बरामद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद/ सीज।

थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत भदशिव हाइवे अंडरपास के पास से 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण
थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत किलहनापुर से हथिगवां रोड पर सड़क के किनारे खड़ी साइकिल पर रखा 01 मोबाइल चोरी करने के संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 20.01.2025 को थाना हथिगवां

में मु0अ0सं0 15 / 2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह थाना हथिगवां के नेतृत्व में उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 विपिन सारस्वत, का0 अजीत सिंह यादव, का0 कुलदीप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां के मु0अ0सं0 15 / 2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. विनीत कुमार गौतम पुत्र बबलू गौतम निवासी ग्राम इस्माईलपुर मजरे अब्दालपुर थाना सोराव जनपद प्रयागराज 2. अंकित कुमार गौतम पुत्र फूलचन्द गौतम निवासी ग्राम कटरा कौड़िहार थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत भदशिव हाइवे अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्तों के कब्जे से 02 अदद चोरी की मोबाइल एन्ड्रायड स्मार्टफोन बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा धारा 317(2), 317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण

1. विनीत कुमार गौतम पुत्र बबलू गौतम निवासी ग्राम इस्माईलपुर मजरे अब्दालपुर थाना सोराव जनपद प्रयागराज।
2. अंकित कुमार गौतम पुत्र फूलचन्द गौतम निवासी ग्राम कटरा कौड़िहार थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

पूछताछ का विवरण  गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया गया कि हम दोनों ने मिलकर टोल टेक्स से लालगोपाल गंज की तरफ रास्ते में राहगीर से एक मोबाइल एन्ड्रायड स्मार्टफोन NARZO realme उपरोक्त को छीन लिया था। फिर वहां से हम दोनो ने लालगोपाल गंज होते हुये किलनापुर से हथिगवां रोड पर जंगल के पास एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ी साइकिल पर रखा एक मोबाइल Realme एन्ड्रायड स्मार्टफोन उपरोक्त हम दोनो लोगो ने चुरा कर भाग गये।

बरामदगी

1.चोरी के 02 अदद मोबाइल एन्ड्रायड स्मार्टफोन बरामद।
2.घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 विपिन सारस्वत, का0 अजीत सिंह यादव, का0 कुलदीप सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

**थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।**

एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ टीम द्वारा थाना लीलापुर पुलिस के सहयोग से 50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

धारा 325, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना लीलापुर में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बाबूगंज मार्ग पर पतुलकी जाने वाले मोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त पर गोवध, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों के 09 अभियोग है दर्ज

प्रतापगढ़।
दिनांक 21.01.2025 की रात्रि को उ0नि0 श्री अतुल चतुर्वेदी मय हमराह उ0नि० प्रदीप सिंह, मु०आ० नीरज पाण्डेय, मु०आ० राम निवास शुक्ल, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव, आरक्षी चालक कुम्देश कुमार एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ टीम द्वारा थाना लीलापुर के उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह, उ0नि0 श्री रामनरेश, का0 प्रेमवीर सिंह, का0 गौरव यादव, का0 पवन कुमार, का0 हरेन्दर सिंह आरक्षी चालक योगेश कुमार के सहयोग से मु0अ0सं0 04/25 धारा 325, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना लीलापुर प्रतापगढ़ जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त मुकीम अहमद पुत्र शमी मोहम्मद उर्फ कल्लू निवासी मदनगढ़ बेल्हा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

थाना लीलापुर पुलिस के सहयोग से दिनांक 21.01.2025 को एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बाबूगंज मार्ग पर पतुलकी जाने वाले मोड़ के पास, अभियुक्त पुलिस टीम को देख कर अवैध तमंचा से फायर कर भागने लगा। जिसे तत्परता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 17/ 25 धारा 109 (1), 352, 351(2) बीएनएस व

3/25/5/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी/ गिरफ्तारी में थाना लीलापुर पुलिस टीम का सहयोग प्राप्त हुआ।

पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज रेन्ज प्रयागराज महोदय द्वारा शातिर अभियुक्त मुकीम उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –
1 मुकीम अहमद पुत्र शमी मोहम्मद उर्फ कल्लू निवासी मदनगढ़ बेल्हा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास –
मुकीम अहमद पुत्र शमी मोहम्मद उर्फ कल्लू निवासी मदनगढ़ बेल्हा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 299/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0 530/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
3.मु0अ0सं0 279/24 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
4.मु0अ0सं0 27/21 धारा 323/379 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
5.मु0अ0सं0 31/21 धारा 379 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
6.मु0अ0सं0 94/24 धारा 392/411 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
7.मु0अ0सं0 286/22 धारा 323/504/506 भादवि व 5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
8.मु0अ0सं0 04/25 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 325/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
9.मु0अ0सं0 17/ 25 धारा 109(1), 352, 351(2) बीएनएस व 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम
STF मुख्यालय लखनऊ यूनिट निरीक्षक उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी मय हमराह उ0नि० प्रदीप सिंह, मु०आ० नीरज पाण्डेय, मु०आ० राम निवास शुक्ल, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव, आरक्षी चालक कुम्देश कुमार।
थाना लीलापुर पुलिस उ0नि0 अजय कुमार सिंह, उ0नि0 रामनरेश, का0 प्रेमवीर सिंह, का0 गौरव यादव, का0 पवन कुमार, का0 हरेन्दर सिंह आरक्षी चालक योगेश कुमार।

## थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

एसटीएफ कानपुर यूनिट द्वारा थाना फतनपुर पुलिस के सहयोग से 50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार
50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार
धारा 392, 328, 364 भादवि थाना फतनपुर में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
अभियुक्त के विरुद्ध चोरी, लूट गैंगस्टर एक्ट जैसे मुकदमें हैं पंजीकृत
नरवल मोड़ के पास रिलाईंस जीयो पेट्रोल पम्प की पार्किंग में थाना क्षेत्र महाराजपुर जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार

प्रतापगढ़।
दिनांक 21.01.2025 को एसटीएफ यूनिट कानपुर टीम उ0नि0 राहुल परमार मय हमराह हे0कां0 देवेश कुमार द्विवेदी, हे0कां0 अरविन्द सिंह, हे0कां0 चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0कां0 अशोक राजपूत, कां0 सत्यम यादव, कां0 धर्मेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मु0अ0सं0 48/2024 धारा 392, 328, 364 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त नदीम उर्फ सेबू उर्फ रिजवान पुत्र रईश नि0ग्राम दादूपुर पड़ान थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

थाना फतनपुर पुलिस के सहयोग से दिनांक 21.01.2025 को एसटीएम टीम कानपुर यूनिट उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर नरवल मोड़ के पास रिलाईंस जीयो पेट्रोल पम्प की पार्किंग में थाना क्षेत्र महाराजपुर जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी/ गिरफ्तारी में जेठवारा पुलिस टीम को सहयोग प्राप्त हुआ।

पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज रेंज प्रयागराज महोदय द्वारा शातिर अभियुक्त नदीम उर्फ सेबू उर्फ रिजवान उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:
1 नदीम उर्फ सेबू उर्फ रिजवान पुत्र रईश नि0ग्राम दादूपुर पड़ान थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहासः
नदीम उर्फ सेबू उर्फ रिजवान पुत्र रईश नि0ग्राम दादूपुर पड़ान थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 682/22 धारा 379, 413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 1012/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 48/24 धारा 392, 328, 364 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

4. मु0अ0सं0 110/24 धारा 395, 412 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम
एसटीएफ यूनिट कानपुर टीम उ0नि0 राहुल परमार मय हमराह हे0कां0 देवेश कुमार द्विवेदी, हे0कां0 अरविन्द सिंह, हे0कां0 चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0कां0 अशोक राजपूत, कां0 सत्यम यादव, कां0 धर्मेन्द्र प्रताप सिंह।

## थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह हे0का0 बृजेश शुक्ला व का० राजू गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मु0नं0 1503/04, अ0सं0 103/97 धारा 147/323/353/504/506 भादवि से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों 1.रामसुख पुत्र रामदेव 2. मुन्नीलाल पुत्र मातादीन निवासीगण मुआर आधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
1.रामसुख पुत्र रामदेव निवासी मुआर आधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
2.मुन्नीलाल पुत्र मातादीन निवासी मुआर आधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम
उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह हे0का0 बृजेश शुक्ला व का० राजू गौड़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।